सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 858
29/7/2010

अंचलाधिकारी संग्रामपुर को आर्थिक दण्ड

पटना, 29 जुलाई :: राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री पी0एन0नारायणन ने लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, अंचल कार्यालय, संग्रामपुर, मुंगेर पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री बी0के0 चौधरी को सही सूचना नही ंदेने के एवज में दिनांक 5–9–09 के प्रभाव से दिनांक 16–7–10 तक के लिए 25000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही, आवेदक को पूर्णरूपेण सूचना सुलभ कराने हेतु 30–10–10 या इससे पूर्व की अवधि निर्धारित की है।

ज्ञातव्य है कि सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के उल्लंघन की स्थिति में अंचलाधिकारी अधिनियम की धारा 10 (2) के तहत अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई हेतु 11–11–10 की तिथि मुकर्रर की गयी है।

––––––––